STATEMENT BY MINISTERS

Status of implementation of the recommendations contained in the First Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं दिनांक 28 सितंबर, 2004 के राज्य सभा संसदीय बुलेटिन-भाग दो के तहत राज्य परिषद में कार्यकरण की प्रक्रिया और आचरण नियमावली के नियम 266 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सभा के माननीय सभापति महोदय के निर्देश के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट 20.8.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों, टिप्पणियों पर कृत कार्यवाही विवरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति को 3.12.2004 को भेजे गए थे।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई ऐसी 28 सिफारिशें हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की जरूरत है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से इन जैसे मुद्दों से संबंधित हैं — भंडारों में वृद्धि, कच्चे तेल का कार्यनीतिक भंडारण, पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति दौरों के अंतर्गत बोलियों की आवृत्ति में वृद्धि, तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास, ऊर्जा संरक्षण उपायों का जोरदार कार्यान्वयन, प्रभावशाली अन्वेषण कार्य, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन, कच्चे तेल पर उपकर से एकत्रित धनराशि का आयात/उत्पाद शुल्क में कमी के मामले में बचाव के रूप में और एलपीजी तथा मिट्टी के तेल पर राज सहायता के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में उपयोग, मिलावट रोधी प्रकोष्ठ को पुन: आरम्भ करना, प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल की शुरूआत आदि।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की सारी विषय-वस्तु को पढ़ने के लिए सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ लिया माना जाए।

श्री उपसभापति: जी हां, माना गया।